# कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख) सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

सूरजपुर, दिनांक07/9/2017

क्रमांक /4264/ वित्त–स्था0 / 2017

**<u>पटवारी प्रशिक्षण हेतु प्रतीक्षा सूची से चयन</u>**

जिले में पटवारी के रिक्त 30 पदों हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए योग्य उम्मीदवारों के चयन परीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2017 को परीक्षा आयोजित की गयी थी। उक्त परीक्षा का परिणाम एवं मेरिट सूची जारी किया गया। उक्त परीक्षा में प्राप्तांको के मेरिट सूची के आधार पर सूरजपुर जिले के लिए पटवारी प्रशिक्षण चयन हेतु वर्गवार चयन एवं प्रतीक्षा सूची जारी किया गया था। कार्यालय प्रधान पाठक पटवारी प्रशिक्षण शाला अंबिकापुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 1554 / प्र0पा0 / प्र0शि0 / 2017 अंबिकापुर दिनांक 5–9–2017 के अनुसार कुल चयनित 28 अभ्यर्थियों में से 24 अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति दिनांक 5–9–2017 तक दी गई है। अतः शेष 04 अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 5–9–2017 तक उपस्थिति नहीं दिये जाने के कारण निम्नानुसार वर्गवार चयन प्रतीक्षा सूची से किया जाता है। निम्नानुसार अभ्यर्थी अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र एक सेट फोटोप्रति स्वंय हस्ताक्षरयुक्त सहित दिनांक 11–9–2017 को दिन के 11.00 बजे जिला कार्यालय सूरजपुर के सभाकक्ष में जाँच हेतु उपस्थित होवे।

–: चयन सूची :–

| क्रं0 | रोल नंबर | अंक | अभ्यर्थी का नाम | लिंग | जन्मतिथि | वर्ग | प्रवर्ग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130030268 | 85.204 | BANSH BAHADOOR | M | 10.05.93 | OBC | अना. (मुक्त)–3 |
| 2 | 110040152 | 84-949 | RANDHIR PATEL | M | 02-08-92 | OBC | अना. (मुक्त)–4 |
| 3 | 130140160 | 56-122 | ARVIND KUMAR | M | 02-05-88 | SC | अ0जा0 मुक्त – 1 |
| 4 | 350090225 | 46-684 | HEMLATA SINGH | F | 20-10-94 | ST | अ0ज0जा0 (महिला )–2 |

निर्देश:–

1–यह चयन सूची, नियुक्ति आदेश नहीं है। प्रशिक्षण उपरांत निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियमानुसार नियुक्ति दी जावेगी ।

2– यह चयन पूर्णतः प्राविधिक है। जाँच के किसी भी प्रक्रिया में यदि पाया जाता है कि संबंधित चयनित व्यक्ति उक्त पद हेतु पात्रता नहीं रखता है अथवा गलत जानकारी के आधार पर चयनित किया गया है तो कभी भी बिना कारण बताये चयन निरस्त किया जा सकेगा।

3– प्रमाणित किया जाता है कि उक्त चयन सूची में आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।

4– भूतपूर्व सैनिक सहित अन्य वर्गों को शासकीय सेवा में दिया जाने वाला आरक्षण / अन्य लाभ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ भू–अभिलेख, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2014 के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए किया गया है।

5– विभाग के भर्ती नियम के अनुसार उपर्युक्त विज्ञापित पदों हेतु निःशक्तजन पात्र नहीं होंगे, जिससे निःशक्तजन अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया है।

6– यह नियुक्ति प्रक्रिया रिट पिटी. क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अध्यधीन होगी।

7– चयनित अभ्यर्थियों को उनके मूल प्रमाण पत्रों तथा अभिलेखो की जाँच इस कार्यालय के सभाकक्ष में दिनांक 30 /8/2017 (दिन– बुधवार ) को दिन के 11.00 बजे किया जावेगा। निर्धारित तिथि/ समय पर उपस्थित नहीं होने पर उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी।

8– यदि चयनित अभ्यर्थियों में से कोई उम्मीदवार उपस्थित नहीं होता है तो उसके स्थान पर मेरिट सूची की प्रतीक्षा सूची के घटते क्रम के वर्गवार उम्मीदवार की नियुक्ति किए जाने की कार्यवाही की जावेगी।

–2–

9– यह भी निर्देशित किया जाता है कि, किसी तकनीकी अथवा लिपिकीय त्रुटि की स्थिति में कार्यालयीन प्रति ही मान्य होगी।

अपर कलेक्टर
सूरजपुर (छ0ग0)

पृ0क्र0/4264/वित्त–रथा0/2017 सूरजपुर, दिनांक 07/9/2017

प्रतिलिपि–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त भू–अभिलेख, छ0ग0 नया रायपुर इन्द्रावती भवन, प्रथम तल, ब्लॉक नं.–02 की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, सरगुजा संभाग सरगुजा अंबिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला सूरजपुर को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र सूरजपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. माल जमादार जिला कार्यालय सूरजपुर को कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

अपर कलेक्टर
सूरजपुर (छ0ग0)
7/9/17